संख्या- 14 /2019/ 3446 /अड़तीस-5-2019-8 बजट/2018 टी0सी0-5

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक- 26 नवम्बर, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत राज्य सरकार को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का पत्र संख्या- 874/ डब्लू-409(IV) /2018-19 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 एवं जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली के स्वीकृति आदेश संख्या- जी-11011/5/2019-वाटर-I/18, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश की धनराशि ₹ 47356.84 लाख के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्राप्त केन्द्रांश में से अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुमन्य केन्द्रांश की सम्पूर्ण धनराशि ₹ 10880.56 लाख शासनादेश संख्या 12/2019/3088/38-5-2019-8 बजट 2018 टी.सी.-5 दिनांक 18 अक्टूबर 2019 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश ₹ 10880.56 (रूपये एक अरब आठ करोड अस्सी लाख छप्पन हजार मात्र) वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक/ कैटेगरी	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश	अनुमन्य केन्द्रांश् के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य कुल राज्यांश	स्वीकृत राज्यांश
1	2	3			4
अनुदान संख्या-83	Normal Programme (for providing functional tap connection to every rural house hold) SCC	10880.56	10880.56	10880.56	10880.56
	योग				10880.56

(रूपये एक अरब आठ करोड अस्सी लाख छप्पन हजार मात्र)

(I) स्वीकृत की गयी धनराशि को पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(III) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किये जाने वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित खाते में जमा की जायेगी और यदि इस धनराशि पर कोई व्याज अर्जित होता है उसे निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया / व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अधीन तथा केन्द्रांश स्वीकृत विषयक भारत सरकार के आदेश संख्या- जी-11011/5/2019-वाटर-I/18, दिनांक 28 अगस्त, 2019 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अंन्तर्गत निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।

(VII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(VIII) प्रश्नगत कम्पोनेन्ट में पूर्व अवमुक्त / स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन / भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2

(IX) उक्त वित्तीय स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(X) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(XI) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के नोडल S.N.A. (Singal Nodal Account) में जमा की जायेगी एवं यथावश्यकता सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जायेगी।जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा सुसंगत मदों में वित्तीय उपयोगिता सुनिश्चित करायेंगे।

(XII) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो सम्पूर्ण विवरण / तथ्यों सहित शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(XIII) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.ई-2- 950(ii)/दस-2019 दिनांक 22 नवम्बर 2019 के अन्तर्गत् जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 1A /2019/3446(1)/अट्ठतीस-5-2019-8 बजट/2018 टी0सी0-5 तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
(2) अनु सचिव (जल), जल शक्ति मंत्रालय,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पं0 दीन दयाल अंत्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली, को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2019 के क्रम में।
(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(4) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।